

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग

आदेश

बिहार स्टार्टअप नीति-2017 को सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु श्री पंकज कुमार, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सिवान सम्प्रति प्रतिनियुक्त हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, पटना एवं श्री रामाशीष गोस्वामी, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भोजपुर को बिहार स्टार्टअप नीति-2017 का नोडल पदाधिकारी नामित करते हुए तकनीकी विकास निदेशालय में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।



(अनिल कुमार झा)  
सरकार के अवर सचिव


ज्ञापांक:- 740

पटना, दिनांक:- 31-01-19

3स/उ०स्था०(स्थानान्तरण)02/15

प्रतिलिपि:- उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सिवान/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भोजपुर/श्री पंकज कुमार, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सिवान सम्प्रति प्रतिनियुक्त हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, पटना एवं श्री रामाशीष गोस्वामी, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री कुमार एवं श्री गोस्वामी को निदेशित किया जाता है कि अविलंब तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना में योगदान करना सुनिश्चित करें।



सरकार के अवर सचिव